

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ.28() परावि / प्रशा.2 / पंप्रअ.स्था.पद / 2019 / 2891 जयपुर, दिनांक: 06/08/19

:: आदेश ::

निम्नलिखित सहायक सचिव / प्रगति प्रसार अधिकारी / पंचायत प्रसार अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सुश्री	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री जगमाल सिंह	सहायक सचिव	नव पदोन्नत (जि. प. झुन्झुनूं के पद से पंचायत प्रसार अधिकारी के पद से)	पं.स. चिड़ावा (झुन्झुनूं)
2.	श्री पवन कुमार शर्मा	सहायक सचिव	पं. स. सूरजगढ़ (झुन्झुनूं) से पं.स. सांचोर (जालोर) स्थानान्तरणाधीन	पं.स. खेतड़ी (झुन्झुनूं)
3.	श्री चूनाराम कांटिया	प्रगति प्रसार अधिकारी	पं.स. मकराना (नागौर)	पं.स. कुचामन सिटी (नागौर)
4.	श्री राकेश जानू	पंचायत प्रसार अधिकारी	जि.प. झुन्झुनूं	पं.स. झुन्झुनूं (झुन्झुनूं)
5.	श्री गोविन्द राम भगत	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. मकराना (नागौर)	पं.स. कुचामन सिटी (नागौर)
6.	श्री मुकेश पोरवाल	पंचायत प्रसार अधिकारी	जि.प. टोंक	पं.स. उनियारा (टोंक)
7.	श्री राजेश यादव	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. राजाखेड़ा (धौलपुर)	पं.स. उमरैण (अलवर)
8.	श्री हरिराम भाकर	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. मकराना (नागौर)	पं.स. डीडवाना (नागौर)
9.	श्री राजेश कुमार व्यास	पंचायत प्रसार अधिकारी	पं.स. लूणकरणसर जिला बीकानेर स्थानान्तरणाधीन	पं.स. नोखा (बीकानेर)

श्री रघुवीर दयाल मीणा, श्री विजय सिंह सैनी, श्री पीयूष जैन, श्री मदन लाल, श्री श्याम सुन्दर एवं श्री किशन जांगिड़ पंचायत प्रसार अधिकारियों को आदेशों की प्रतिक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है।

उक्त कार्मिक तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा इसे राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(सुनील शर्मा)

6/8/19

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रा. वि. एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा. वि. एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर संबंधित।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
7. संबंधित प्रगति प्रसार अधिकारी/पंचायत प्रसार अधिकारियों को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली

८१
६/८/२०५
संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त